



09
15.05.17

II/निगरानी/शहडोल/भू.रा. /2017/1624

- 1- नारेन्द्र गोले
- 2- सुरेश गोले, दोनो के पिता स्व० खुशालचन्द गोले,
निवासी-गणेश गंज ईदगाह के पास, वार्ड नं० 20, बुढार रोड शहडोल
थाना एवं जिला-शहडोल (म०प्र०)

..... आवेदकगण

बनाम

- 1- प्रभाकर गोले पिता जगदीश गोले, निवासी-वार्ड नं० 18 नया बस स्टैण्ड के पीछे, शहडोल (म०प्र०)
 - 2- रामलाल गोले (फौत)
(अ) श्रीमती मालती गोले पति स्व० रामलाल गोले
(ब) राजकुमार गोले पिता स्व० रामलाल गोले
(स) राजेश गोले पिता स्व० रामलाल गोले
(द) पिकी गोले पिता स्व० रामलाल गोले
 - 3- रामावतार गोले पिता स्व० खुशालचन्द गोले
 - 4- दयाराम गोले पिता स्व० खुशालचन्द गोले
- सभी निवासी गणेश गंज वार्ड नं० 20, ईदगाह के पास, शहडोल थाना
शहडोल तहसील-सोहागपुर, जिला-शहडोल (म०प्र०)

..... अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर शहडोल के प्र०क्रं० 14/निगरानी/2013-14 आदेश दि० 17.04.2017 उद्भूत प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला-शहडोल के रा०प्र०क्रं० 349/अपील में पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/1624

नारेन्द्र गोले व अन्य विरुद्ध प्रभाकर गोले आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनोवदक क्रमांक 1 की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल, जिला-शहडोल के प्र. क्र. 14/निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17-04-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य</p>